न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या –48/2017
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2017/00338

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. कांतिलाल पुत्र मुल्तानमल जैन 2. प्रकाश कुमार पुत्र मुल्तानमल जैन निवासीगण सियालों का बास नाडोल के आम मुख्तियार मदनलाल पुत्र दीपा सैन, निवासी नाडोल तहसील देसूरी, जिला पाली		1. ग्राम पंचायत, नाडोल जरिये सरपंच 2. जवेरचंद पुत्र मुल्तानमल जैन, निवासी सियालों का बास, नाडोल, जिला पाली हाल– दुरानी बिल्डिंग दुसरा माला, रूम नम्बर 17,18 राव बहादुर एस.के. बोले रोड़, पुर्तगीज चर्च के पास दादर मुम्बई(पश्चिम) महाराष्ट्र

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित

–: निर्णय :– दिनांक :– 27-7-21

प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध अप्रार्थीगण ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 05.02.2003 की पालना में जारी पट्टा संख्या 42 दिनांक 23.12.2004 मिसल संख्या 42/2001–2002 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2003 की पालना में जारी किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थी बावजुद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाकर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी आदेश पारित करने से पूर्व अप्रार्थी को सूचित नही किया गया अप्रार्थी जवेरचंद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना बताया गया है जो मशीनरी प्रक्रिया से बना हुआ आवेदन है जिसमे पुश्तैनी शब्द अंकित किया गया है। कही पर भी रहवासी मकान संबधी कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है न प्रार्थना पत्र में मकान होने का उल्लेख है आवेदन पर दिनांक अंकित नही है न मार्क किया हुआ है। क्या कार्यवाही की जानी है यह भी अंकित नही किया है क्षैत्रफल, भूमि की स्थिति आदि कॉलम खाली है। भूमि का मौका निरिक्षण रिपोर्ट बनायी उसमें तीन वार्डपंचों की कमेटी गठित आदेशिका दिनांक 20.11.02 में की गई थी उनके तीन वार्ड पंच के आबादी भूमि के निरिक्षण के प्रपत्र में एक के भी हस्ताक्षर नही है। न उसमें पुश्तैनी मकान होना अंकित है भूमि का नक्शा रा0 पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 143(3) के तहत नक्शा बनाकर प्रस्तुत करने का अंकन है। नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर नही है। न ही पड़ौस नाम चिन्ह आदि अंकित है मात्र सरपंच के हस्ताक्षर है आक्षेप आमत्रित करने का नोटिस कहां [illegible] या गया किसके द्वारा चस्पा किया गया उसकी रिपोर्ट व हस्ताक्षर [illegible] के हस्ताक्षर है दो बयान जो संलग्न मिसल है। उनमें से [illegible] गए उसमें ग्राम, [illegible] पिता का नाम, जाति सभी कॉलम खाली है मात्र सरपंच के हस्ताक्षर कर शामिल [illegible] कर दिया गया है। जबकि मिसल की प्रथम आदेशिका दिनांक 22.12.01 में मकान के पुश्तैनी होने का अंकन है तथा आदेशिका दिनांक 20.11.02 में सचिव द्वारा नक्शा बनाकर प्रस्तुत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:43:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

लिखा है। जबकि सचिव के नक्शा बनाने के स्थान पर हस्ताक्षर नही है। वहां प्रार्थी के हस्ताक्षर है एवं वही हस्ताक्षर पट्टा प्राप्त करने वालों के स्थान पर दर्ज है। अन्तिम आदेशिका दिनांक 05.02.2003 में भी पुश्तैनी कब्जा सुदा मकान का कब्जा पुराना होने से उसका पट्टा बनाने का आदेश नियम 157(ख) के तहत है जो विधिनुसार वाक्यातों के नियम 157(ख) के तहत होना अप्रार्थी द्वारा सिद्ध नही किया गया है इसलिए जैर निगरानी पट्टा विधि विरूद्ध होने से जैर निगरानी पट्टा खारिज कराने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड मिसल , प्रस्ताव रजिस्टर एवं पट्टा बुक का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया है जैर निगरानी पट्टे के सम्बध में विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार है

1. क्या पट्टा नियमानुसार जारी किया गया है।

मिसल संख्या 42/2001–02 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवेदन किया गया है तथा उसके सम्बधित नक्शा भी बनाकर मिसल संलग्न किया गया है भूमि के संबध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस भी जारी किया गया जो चस्पानगी किया हुआ है तथा एक मौतबिर के हस्ताक्षर भी किए हुए है। पत्रावली अवलोकन से पट्टा जारी करते समय प्रक्रिया का पालन किया जाना स्पष्ट है ऐसा कोई तथ्य निगरानी कर्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। जिसके अनुसार यह साबित हो सके कि किसी ने पंचायत के नोटिस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। नही ऐसा कोई साक्ष्य है प्रार्थी को पट्टा बनाते समय जानकारी नही दी गई न ही पंचायत राज अधिनियम में किसी का पट्टा जारी करने से पूर्व किसी को जानकारी देने का प्रावधान है आक्षेप आंमत्रित करने का नोटिस ही जारी करने का प्रावधान है तथा पंचायत द्वारा आक्षेप आंमत्रित करने का नोटिस जारी किया गया जो मिसल में सलंग्न है।

यह बिन्दु कि अप्रार्थी प्रार्थी के सगे भाई है और प्रार्थी का पुश्तैनी सम्पती मे हिस्सा बनता है इससे स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष के मध्य टाईटल (हक हकूक) तय करने का विवाद है जो राज पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अनुसार इस न्यायालय के क्षैत्र से परे है। धारा 97 के अनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा पट्टे की वैधानिकता एवं शुद्धता एवं नियमों की पालना में सही रूप से जारी करने में कोई गलती नही की गई है। यह परखने का अधिकार है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा दिनांक 05.02.2003 को प्रस्ताव संख्या 13 विधिवत रूप से पारित कर मिसल संख्या 42/2001–02 के अनुसरण में पारित किया गया है। निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। एंव ग्राम पंचायत नाडोल द्वारा मिसल संख्या 42/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2003 एवं सकल्प संख्या 13 दिनांक 05.02.2003 की पालना में जारी पट्टा संख्या 42 दिनांक 23.12.2004 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ ग्राम पंचायत नाडोल से प्राप्त रेकर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 27-7-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल मिसल किया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:43:12 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलक्टर, पाली